



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234269
CG-DL-E-17032022-234269

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1132]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/ फाल्गुन 25, 1943

No. 1132]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2022

का.आ. 1172(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (752-जी) के कि.मी. 50+2 से कि.मी. 98+84 तक नंदुरबार - प्रकाशा - शहादा - खेतिया रोड (सेक्शन-2) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी शहादा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी

विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (752-जी) के कि.मी. 50+2 से कि.मी 98+84 तक नंदुरबार - प्रकाशा - शहादा - खेतिया रोड (सेक्शन-2) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नंदुरबार			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: शहादा					
गांव का नाम: सुलतानपुर					
1	129	निजी	शुष्क	0.0702000(हेक्टेयर)	0.0702000
2	130	निजी	शुष्क	0.0358000(हेक्टेयर)	0.0358000
3	158	निजी	शुष्क	0.0716000(हेक्टेयर)	0.0716000
4	172	निजी	शुष्क	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
5	173	निजी	शुष्क	0.0719000(हेक्टेयर)	0.0719000
6	175	निजी	शुष्क	0.0317000(हेक्टेयर)	0.0317000
7	176	निजी	शुष्क	0.0030000(हेक्टेयर)	0.0030000
8	177	निजी	शुष्क	0.0211000(हेक्टेयर)	0.0211000
9	178	निजी	शुष्क	0.0266000(हेक्टेयर)	0.0266000
10	192	निजी	शुष्क	0.0145000(हेक्टेयर)	0.0145000
11	193	निजी	शुष्क	0.0196000(हेक्टेयर)	0.0196000
12	194	निजी	शुष्क	0.0098000(हेक्टेयर)	0.0098000
13	195	निजी	शुष्क	0.0302000(हेक्टेयर)	0.0302000
14	201	निजी	शुष्क	0.0168000(हेक्टेयर)	0.0168000

15	203	निजी	शुष्क	0.0276000(हेक्टेयर)	0.0276000
16	239	निजी	शुष्क	0.0546000(हेक्टेयर)	0.0546000
17	243	निजी	शुष्क	0.0270000(हेक्टेयर)	0.0270000
18	244	निजी	शुष्क	0.0669000(हेक्टेयर)	0.0669000
19	245	निजी	शुष्क	0.0234000(हेक्टेयर)	0.0234000
20	248	निजी	शुष्क	0.0349000(हेक्टेयर)	0.0349000
21	250	निजी	शुष्क	0.0510000(हेक्टेयर)	0.0510000
22	79	निजी	शुष्क	0.0252000(हेक्टेयर)	0.0252000
23	81	निजी	शुष्क	0.0089000(हेक्टेयर)	0.0089000
कुल				0.7474	0.7474

[फा. सं. 12037/99/2017-MAH-/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2022

S.O. 1172(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway Number 752-G in the stretch of land from Km. 50+2 to Km. 98+84 Nandurbar-Prakasha-Shahada-Khetia Road, (Section-2) in Taluka-Shahda, District-Nandurbar, in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer (SDO) Shahada, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH752G in the stretch of land from Km. 50+2 to Km. 98+84 Nandurbar-Prakasha-Shahada-Khetia Road, (Section-2) in Taluka-Shahada, District-Nandurbar, in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: NANDURBAR		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Shahada					
Village: Sultanpur					
1	129	Private	Dry	0.0702000(Hectare)	0.0702000
2	130	Private	Dry	0.0358000(Hectare)	0.0358000
3	158	Private	Dry	0.0716000(Hectare)	0.0716000
4	172	Private	Dry	0.0051000(Hectare)	0.0051000
5	173	Private	Dry	0.0719000(Hectare)	0.0719000
6	175	Private	Dry	0.0317000(Hectare)	0.0317000
7	176	Private	Dry	0.0030000(Hectare)	0.0030000
8	177	Private	Dry	0.0211000(Hectare)	0.0211000
9	178	Private	Dry	0.0266000(Hectare)	0.0266000
10	192	Private	Dry	0.0145000(Hectare)	0.0145000
11	193	Private	Dry	0.0196000(Hectare)	0.0196000
12	194	Private	Dry	0.0098000(Hectare)	0.0098000
13	195	Private	Dry	0.0302000(Hectare)	0.0302000
14	201	Private	Dry	0.0168000(Hectare)	0.0168000
15	203	Private	Dry	0.0276000(Hectare)	0.0276000
16	239	Private	Dry	0.0546000(Hectare)	0.0546000
17	243	Private	Dry	0.0270000(Hectare)	0.0270000
18	244	Private	Dry	0.0669000(Hectare)	0.0669000
19	245	Private	Dry	0.0234000(Hectare)	0.0234000
20	248	Private	Dry	0.0349000(Hectare)	0.0349000
21	250	Private	Dry	0.0510000(Hectare)	0.0510000
22	79	Private	Dry	0.0252000(Hectare)	0.0252000
23	81	Private	Dry	0.0089000(Hectare)	0.0089000
Total				0.7474	0.7474

[F. No. 12037/99/2017-MAH-/3A]

RAJESH GUPTA, Director